तारीख हुक्म	मन्नी देवी बनाम शंकरलाल वगै **हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज** प्रा०पत्र अस्थाई नि०आ० मु०नं०-107/2022	नम्बर व त अहकाम हुक्म की में जारी
04.04.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते पुनः बहस पत्रावली दिनांक 15.06.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर	
15.06.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में पत्रावली को पुनः बहस में रखी जाकर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश पत्रावली दिनांक 05.07.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर	
05.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2023.07.13 10:23:42 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
107 / 2022	2022 / 405	06.12.2022	05.07.2023

उनवान प्रकरण

1. मन्नी देवी पत्नी शंकरलाल आयु 55 वर्ष
2. अशोक कुमार पुत्र शंकरलाल आयु 28 वर्ष
3. पवन कुमार पुत्र शंकरलाल आयु 26 वर्ष
4. कु0 संगीता पुत्री शंकरलाल आयु 21 वर्ष

समस्त जाति माली निवासीगण नांगलभीम रोड तन ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

---प्रार्थी---

बनाम्

1. शंकरलाल पुत्र स्व0 मांगूराम आयु 59 वर्ष जाति माली निवासी नांगलभीम रोड तन् ग्राम नांगलभीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. कमला चेजारा पत्नी आत्माराम चेजारा आयु 59 वर्ष जाति चेजारा निवासी नांगल भीम रोड श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर
3. पटवारी पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. उपपंजियक महोदय, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

---अप्रार्थीगण---

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थितः—

श्री सुभाष कुमार वर्मा , एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।

श्री अभिषेक कुमावत, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 2 अभिभाषक,

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 1.36 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगलभीम पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अप्रार्थी नम्बर 1 का 1437/3400 हिस्सा हैं। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पदा व शामलाती सम्पदा हैं। उक्त भूमि प्रार्थीया नम्बर 1 के ससुर मांगूराम व शेष प्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4 के दादा के समय से चली आ रही हैं। इस प्रकार उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि हैं तथा उक्त भूमि बेशकिमती भूमि है। जिस पर प्रार्थीगण का हिस्सा एक हिन्दू जातक का होने के कारण कानूनन है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नम्बर 1 एक ही परिवार के है। जिनमें प्रार्थीया नम्बर 1 अप्रार्थी नम्बर 1 की पत्नी है तथा प्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4, अप्रार्थी नम्बर 1 की जायन्दा संताने है। अप्रार्थी नम्बर 1 के प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिस, उत्तराधिकारी नही हैं तथा अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज पैतृक भूमि में प्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4 एवं अप्रार्थी नम्बर 1 चारो का बराबर—बराबर 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमि अप्रार्थी नम्बर 1 के मृत्तक पिता मांगूराम के नाम दर्ज चली आ रही थी उक्त पैतृक भूमियां हैं जिसमें मृत्तक मांगूराम के प्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अप्रार्थी नम्बर 1 वैध वारिसा है तथा मांगूराम के स्वर्गवास होने के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अनुसार अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम अंकित हुयी हैं। वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 व अप्रार्थी नम्बर 1 का हक हिस्सा व अधिकार निहित हैं। संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्तियों को किसी भी अजनबी व्यक्ति को व किसी परिवार के किसी भी सदस्य को कोई विशेष भू–भाग पर बैचार करने, दानलेख, वसीयत लेख आदि का कानूनन कोई अधिकार नहीं है तथा न ही किसी अजनबी क्रेता को संयुक्त परिवार की शामलाती भूमि पर कब्जा करने या कराने का अधिकार है। अप्रार्थी नम्बर 2 ने अप्रार्थी नम्बर 1 को अपने प्रभाव एवं वश में कर रखा था। जिस कारण अप्रार्थी नम्बर 1 ने अपने कर्तव्यों से विमुख होकर प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 की जानकारी के बिना एक सोची समझी साजिश के तहत अपने नाम खातेदारी होने का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमि उक्त वर्णित भूमि का नुमाइशी रूप से विक्रय लेख दिनांक 04.05.2022 को अप्रार्थी नम्बर 2 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख बाला–बाला रूप से बैचान कर दिया। उक्त विक्रय लेख से प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 कतई पाबन्द नहीं हैं। जबकि उक्त भूमि पैतृक भूमि है। जिसको बैचान करने का अप्रार्थी नम्बर 1 को कोई हक अधिकार नही था तथा उक्त पैतृक सम्पदा को क्रय करने का अप्रार्थी नम्बर 2 को भी कोई हक अधिकार नही था तथा उक्त सम्पदा संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती पैतृक सम्पदा होने के कारण अप्रार्थी नम्बर 1 का उक्त भूमि में अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज हिस्सा में से 1/4 हिस्सा निहित था तथा शेष 3/4 हिस्सा के प्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4 मालिक एवं स्वामी हैं। अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 2 ने मिथ्या, साजिश, बनावटी संयुक्त परिवार की वादग्रसत भूमि जो कि काफी कीमती होने से तथाकथित उक्त विक्रय लेख को अप्रार्थीया नम्बर 2 ने अपने हक में संयुक्त परिवार की वादग्रस्त भूमियों में से तैयार करवाया गया है। जिससे प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 कतई पाबन्द नहीं हैं। संयुक्त परिवार की वादग्रस्त आराजी के संयुक्त कब्जे काश्त में से अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्या बनावटी, साजिशी व बिना कब्जे के तथाकथित विक्रय लेख के आधार पर विशिष्ठ कीमती भू–भाग पर कब्जा कर लेगे या राजस्व रिकार्ड परिवर्तन ... लेगे या दीगर लोगो को अन्तरण कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

05/07/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

देगें तथा प्रार्थीगण को मौके पर जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगें या भूमि को रहन, दान, बैचान कर देगे व प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में मजाहमत पेदा करेंगे तो प्रार्थीगण के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होंगें। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगे। अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढेगी, जिससे प्रार्थीगण को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण की उक्त गलत, अवैध एवं मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को प्रार्थीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी है एवं अप्रार्थीगण को न्यायहित में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक हैं। अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी रूप से साजकर साजिशपूर्ण तरीके से प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि बाबत कराये गये विक्रय लेख को प्रार्थीगण निरस्त कराने के पूर्णरूपेण अधिकारी हैं। प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के विरूद्ध अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है ना ही हो सकते हैं। अप्रार्थीगण ने आपस में साजकर साजिशपूर्ण तरीके से प्रार्थीगण के हक अधिकार की भूमि के विक्रय लेख तस्दीक कराया है। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। उपरोक्त विक्रित भूमि का मौके पर विक्रय पत्र के समय कब्जा क्रेता को नही दिया गया, ना ही कब्जा दिया जा सकता था। दिनांक 25.11.2022 को अप्रार्थी नम्बर 2 द्वारा भूमाफियाओं के सहयोग से प्रार्थीगण को जोर जबरन बेदखल करने एवं स्वयं का जोर जबरन ताकत के बल पर कानूनहीनता की स्थिति पैदा कर कब्जा करने व कराने की धमकी देने से उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण नम्बर 1 व 2 को ता–दौराने वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 115 रक[illegible]क्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगलभीम पटवार हल्का हांसपुर तह[illegible] को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा, दानलेख आदि द्वारा अन्तरित क[illegible]ना ही भूमि मुतनाजा को या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उसके किसी भाग को दीगर किसी को रहन रखकर ऋणधन प्राप्त करे, ना ही राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवाये, ना ही प्रार्थीगण को जोर जबरन बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या करावे जिससे प्रार्थीगण के हक हकूकों पर कोई विपरित असर पड़ता हो एवं अप्रार्थीगण नम्बर 3 ता 5 को भी जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित भूमि के बाबत होने कोई दस्तावेज, अन्तरण लेख आदि को किसी प्रकार से तस्दीक नही करे, ना ही रिकार्ड परिवर्तन करे, रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण नं. 2 की ओर से श्री अभिषेक कुमावत एड0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय कोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश की। जिसका वकील प्रार्थीगण ने जवाबुल जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 लगायत 5 की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमियॉ प्रार्थीया के ससुर मांगूराम व शेष प्रार्थीगण नम्बर 2 लगायत 4 के दादा के समय से चली आ रही है। जिसके अनुसार उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पदा व शामलाती सम्पदा है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के मृत्तक पिता मांगूराम के नाम दर्ज चली आ रही होकर उक्त भूमि में प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 व अप्रार्थी नम्बर 1 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वैध वारिसान् है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जिसमें मांगूराम का देहान्त होने पर उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड होने से एंव प्रार्थीगण में से प्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या की वैधानिक धर्मपत्नी होने व प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 के अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र/पुत्री संतान होने से तथा उक्त भूमि के अप्रार्थी संख्या 1 को उसके पिता से प्राप्त होकर पैत्रृक भूमि होने से उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थीगण नम्बर 1 ता 4 व अप्रार्थी नम्बर 1 का हक हिस्सा व अधिकार निहित है। संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्तियों को किसी भी अजनबी व्यक्ति को व किसी परिवार के सदस्य को कोई विशेष भू भाग बैचान करने, दान लेख, वसीयत लेख आदि किये जाने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है तथा ना ही किसी अजनबी केता को संयुक्त परिवार की शामलाती भूमि पर कब्जा करने या कराने का ही हक अधिकार ही है। उक्त पैतृक भूमियों का अप्रार्थी शंकर लाल द्वारा पूर्व में ही बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से एंव शेष भूमियों का बैचान जरिये इकरारनामा के माध्यम से किया जा चुका है। अप्रार्थी शंकर के हिस्से में कुल 0.17 हैक्टर जमीन ही आती है जबकि अप्रार्थी शंकर द्वारा कुल 3960 वर्गगज भूमि अर्थात लगभग 0.32 हैक्टर भूमि का बैचान किया जा चुका है जो उसके हिस्से से अधिक भूमि का बैचान है। उक्त कराये गये विक्रय लेखों को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा पृथक से सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर में वाद पेश किया जा चुका है। वकील प्रार्थीगण ने उक्त भूमियों में 30 वर्ष पुराने मकान बनाकर पुख्ता निर्माण कार्य कर लेने से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। जिसके आधार पर प्रार्थीगण वकील ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण या उभय पक्षकारान् को स्थगन आदेश से मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबन्द किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करते हुए क्रोस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर

Rathore
05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

कोस टी0 आई0 में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त वाद व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 1.36 हैक्टर तन् नागंल भीम में स्वंय के हिस्से की उद्घोषणा बाबत पेश किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर 1 आपस में पुत्र व पति/पिता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से 1437/3400 हैक्टर में से कुल 644.83 वर्गगज अर्थात 539.08 वर्गमीटर भूमि का अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 04.05.2022 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पंजीयन लेख के बैचान किया गया है। जिसमें बिक्रित भूमि का कब्जा मौके पर केता को सम्भला दिया गया हैं। उक्त विक्रय लेख के सलग्न किये गये भूखण्ड के नजरी नक्शे में दिशायें अंकित करते हुए उत्तर दिशा में आत्माराम चेजारा के मकान, दक्षिण दिशा में मालीराम सैनी की जमीन, पूरब दिशा में विकेता की भूमि व पश्चिम दिशा में कैलाश शर्मा के वारिसान् की भूमि स्थित होने बाबत अंकन किया गया है। उक्त अपने पक्ष में करवाये गये विक्रय लेख के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 उक्त भूमि की क्रयशुदा, कब्जेशुदा स्वामिनी है। अप्रार्थीया संख्या 2 एक सद्भाविक केता है जो कि विक्रय पंजीयन लेख के आधार पर क्रय की गई भूमि पर काबिज एंव आबाद है। अप्रार्थी संख्या 2 अपने द्वारा क्रयशुदा भूखण्ड तक ही मालीकाना हक व स्वामित्व रखती है। प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण ने ईर्ष्यावश जोर, जबरदस्ती अप्रार्थीया संख्या 2 की खरीदशुदा भूमि में मजाहमत कर कानूनी अधिकारों में मजाहमत करने पर तुले हुए हैं। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दीगर लोगों के बहकावे में आकर व अप्रार्थीगण के विरूद्ध रंजिश रखने के दुराशय भाव से प्रस्तुत की गई है, जो किसी भी प्रकार से पोषणीय नही होने के कारण स्वयय खारिज फरमाये जाने तथा अप्रार्थी संख्या 2 का प्रस्तुत कोस जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार की जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर गंभीर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस, खसरा गिरदावरी, रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 04.05.2022 व इसके साथ भूखण्ड का नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में दर्ज वादग्रस्त आराजी भूमियों की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल जो प्रार्थीगण के पति/पिता है। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा एक भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल पुत्र मांगूराम जाति सैनी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से दिनांक 04.05.2022 को क्रय किया जाकर सद्भाविक क्रेता होना प्रमाणित होता है। उक्त रजिस्टर्ड करवाये गये विक्रय लेख का अमल दरामद होकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम अभी तक दर्ज नहीं होना प्रकट होता है। उक्त विक्रय लेख को निरस्त घोषित कराने बाबत प्रार्थीगण के द्वारा एक अन्य वाद वरिष्ठ सिविल न्यायालय कम संख्या 1, श्रीमाधोपुर में पेश किया जाकर वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन होना प्रस्तुत फोटो प्रति से प्रकट होता है। प्रार्थीगण ने अपने पिता/पति शंकरलाल के द्वारा अपने उक्त पैतृक भूमियों का पूर्व में ही बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से एंव शेष भूमियों का बैचान जरिये इकरारनामा के माध्यम से किया जाना प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के हिस्से में कुल 0.17 हैक्टर भूमि आना तथा अप्रार्थी संख्या 1 श[illegible] ज भूमि अर्थात लगभग 0.32 हैक्टर भूमि का बैचान [illegible] कराया है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के द्वारा [illegible] वैधानिक हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किया जाना तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा [illegible] राये गये विक्रय लेखों को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा पृथक से सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर में वादपत्र पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23
दिलीप सिंह

किया जाना प्रार्थीगण के जवाब से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को भविष्य में अन्य कोई भूमियों का दीगर व्यक्तियों को और अधिक बैचान नहीं किये जाने हेतु मूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होगा ताकि वो अपने नाम दर्ज भूमियों का अन्य दीगर को बैचान नहीं कर सके तथा प्रार्थीगण को उनके पैतृक हिस्से की भूमि में से नोशनल शेयर से प्राप्त होने वाले हिस्से का प्रार्थीगण को फायदा मिल सके। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अपने हक हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किये जाने का प्रश्न है। वह मूल वादपत्र में उभय पक्षकारान् प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की प्रकरण में बाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर ही निश्चित हो सकेगा। जहॉ तक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से कय किये गये रजिस्टर्ड विकय लेख के माध्यम से कय किये गये भूखण्ड के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त होने वाले मालिकाना हक का प्रश्न है। वह यदि अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपने पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड विकय लेख का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अंकन हो जाता तो वह भी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि के सह खातेदार काश्तकार होती। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख से भूखण्ड का कय किये जाने के उपरान्त मौके पर विकय पत्र के समय कब्जा केता को सम्भलाया जाना प्रकट होता है। उक्त रजिस्टर्ड विकय लेख के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को भी उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि में विकेता के समान ही अधिकार प्राप्त होते है। इस स्थिति में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किसी भी खातेदार काश्तकार को किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 को अपने पक्ष में तस्दीक कराये गये रजिस्टर्ड ... के आधार पर कानूनन प्राप्त होने वाले विधिक हक अधिकार ... को कोस प्रतिदावा के अन्तिम निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाब... किया जाना उचित समझता हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
05/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, ...

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाए जाने पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को तादौराने मूल वादपत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 115 रकबा 1.36 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण को पैत्रृक भूमि होने से नोशनल शेयर में प्राप्त होने वाले विधिक हक हिस्से तक किसी प्रकार से विक्रय पत्र, ईकरारनामा दानलेख आदि अन्तरित नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रस्तुत कोस प्रतिदावा को भी स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को तादौराने मूल कोस प्रतिदावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अपने पक्ष में करवाये गये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांकित 04.05.2022 में वर्णित नजरी नक्शे में दर्शित भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें तथा ना ही दीगर से करावे एंव ना ही शांतिपूर्ण जीवन यापन में व्यवधान कारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.13 10:23:42 IST
Reason: SelfAttested

05/07/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)